पत्रांक 17/म01-51/2016......219......./

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखण्ड

राँची, दिनांक 16/05/2016

विषय :- **केन्द्र प्रायोजित मध्याहन् भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवकाश के कुल 25 दिनों में वर्ग 1 से वर्ग 8 तक के छात्रों को मध्याहन् भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

विषयान्तर्गत कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रकाशित गजट 10 दिसम्बर, 15 के कंडिका 2(1) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी 24 जिलों को सुखाड़ग्रस्त जिला घोषित किया गया है। मध्याहन् भोजन योजना के तहत् यह प्रावधान है कि सुखाड़ग्रस्त जिलों में गर्मी की छुट्टियों में भी मध्याहन् भोजन सभी संबंधित बच्चों को उपलब्ध करवाया जायेगा। तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा तत्संबंधी प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जा रहा है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के झारखण्ड राज्य के सलाहकार श्री बलराम का पत्रांक एफ0 2/2014 दिनांक 09.05.16 के द्वारा भी ग्रीष्मावकाश सहित रविवारीय अवकाश में भी मध्याहन् भोजन योजना के तहत् सुखाड़ग्रस्त जिलों में गर्मी की छुट्टियों में मध्याहन् भोजन सभी संबंधित बच्चों को उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है।

2. निदेश दिया जाता है कि अपने जिलान्तर्गत मध्याहन् भोजन योजना से आच्छादित सभी विद्यालयों में जिला में उपलब्ध राशि एवं खाद्यान्न से आने वाले 25 अवकाश के दिनों में (रविवारीय सहित) मध्याहन् भोजन कार्यक्रम का लाभ तत्काल प्रभाव से वर्ग 1 से वर्ग 8 तक के बच्चों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

3. जिला शिक्षा अधीक्षक अपने जिले के उपायुक्त से सम्पर्क स्थापित कर 25 अवकाश दिनों का निर्धारण इस पत्र की प्राप्ति के 2 दिनों के अन्दर करते हुये तत्संबंधी सूचना प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करवायेंगे। साथ ही संबंधित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं विद्यालयों को भी ससमय इस कार्यक्रम से अवगत करवायेंगे जिससे बच्चों, ग्राम शिक्षा समिति, सरस्वती वाहिनी एवं बच्चों के माता-पिता इसके बारे में अवगत हो जायें। अवकाश के दिनों मे संचालित मध्याहन् भोजन कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्यस्तर, जिलास्तर एवं प्रखण्डस्तर से किया जायेगा। सभी जिला शिक्षा अधीक्षक अपने स्तर से इस संबंध में प्रेस-विज्ञप्ति प्रकाशित कर सभी संबंधित को सूचित करेंगे।

4. जिला शिक्षा अधीक्षक अवकाश के दिनों में संचालित मध्याहन् भोजन कार्यक्रम से संबंधित प्रतिवेदन, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड द्वारा पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

विश्वासभाजन,

16/05/16

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

राँची, दिनांक 16/05/2016

ज्ञापांक 219/

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, झारखण्ड/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/5/16

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

राँची, दिनांक 16/05/2016

ज्ञापांक 219/

प्रतिलिपि :– श्री बलराम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के झारखण्ड राज्य के सलाहकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/5/16

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

राँची, दिनांक 16/05/2016

ज्ञापांक 219/

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

16/5/16

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।